

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-133/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० पिकी कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बिक्रमगंज, रोहतास के द्वारा दिनांक-01.08.2023 से 31.03.2024 तक कुल-244 (दो सौ चौबालीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1687(25), दिनांक-20.09.2024 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० पिकी कुमारी को 486 (चार सौ छियासी) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-133/2024- 355(2) पटना, दिनांक 05/03/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्स-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बिक्रमगंज, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/डा० पिकी कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बिक्रमगंज, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव